मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, 2024 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है जिसका उद्देश्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को ऋण प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु

- **उद्देश्य:** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से माओवाद प्रभावित ज़िलों के छात्रों को **1%** की ब्याज दर पर **4 लाख रुपए** तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करना।
- **लक्षित लाभार्थी:** छत्तीसगढ़ के **2 लाख से अधिक छात्र,** विशेषकर वे जो वित्तीय अस्थिरता से प्रभावित हैं और नक्सल गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं ।
- **पात्रता मापदंड:**
  - **निवास:** आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिये।
  - **आय सीमा:** परिवार की वार्षिक आय **2 लाख रुपए** से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  - **पाठ्यक्रम आवश्यकताएँ:** छात्रों को **AICTE** अथवा **UGC** जैसे प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी क्षेत्रों में डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में नामांकित होना चाहिये।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education-AICTE)

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एक सांविधिक निकाय है, और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है।
- इसकी स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC)

- यह 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और **विश्वविद्यालय शिक्षा** में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया।
- यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, मानद विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।
- UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।